DP I (II) IInd Paper

Dr Punam Kumari
Dept of Pol. sc.
S.N.S. R.K.S College
Saharsa

British House of common
(ब्रिटिश कॉमन सभा)

यद्यपि जन्म तथा विकास के दृष्टिकोण से लोकसभा निम्नसदन है, लेकिन महत्व के दृष्टिकोण से यह प्रथम सदन है। 18वीं सदी में सर रॉबर्ट वालपोल ने कहा ~~थी~~ था कि "जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है, तो वह लोकसदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोकसदन को ही विघटित करता है।"

न्यूमैन के अनुसार "संसद की प्रभुसत्ता लोकसभा में निवास करती है।"

संगठन - कॉमन्स सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। हर आम चुनाव से पहले चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है जिससे वह संख्या घटती-बढ़ती रहती है। लोकसदन के प्रत्येक सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक नर-नारी को मताधिकार का अधिकार है। लेकिन विदेशियों ~~देशद्रोही~~ देशद्रोही तथा घोर अपराध के लिए दण्डित व्यक्तियों तथा पागल, दिवालिये को मताधिकार प्राप्त नहीं है।

योग्यता - ~~कॉमन्सलेन~~ कॉमन सभा के लिए वह व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है जो
(1) ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो।
(2) कम से कम 21 वर्ष की आयु का हो।
(3) मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो।

उत्तरी आयरलैंड, इंगलैंड तथा स्कॉटलैंड, चर्च के पादरी, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी, स्कॉटलैंड तथा ब्रिटेन के पियर, सरकार से ठेका लेनेवाले व्यक्ति तथा राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति लोकसदन के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। ब्रिटेन में भी भारत की तरह ही कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।

लोकसदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट 5 वर्ष के पहले भी लोकसदन को विघटित कर सकता है।

अध्यक्ष:- लोकसभा का प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अन्य संसदीय अधिकारियों में सदन समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सभा की अध्यक्षता करते हैं।

अधिवेशन:- लोकसभा का अधिवेशन साल में एकबार अवश्य ही होता है. आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं।

अधिकार तथा कार्य:- लोकसभा के अधिकार तथा कार्य निम्नलिखित है:—

(I) विधायी शक्तियों
(II) वित्तीय शक्तियों
(III) कार्यपालिका का नियंत्रण
(IV) जनता की शिकायतों का निवारण

(1) विधायी शक्तियों:- संसद की प्रभुसत्ता की धारणा के अनुसार ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है. या संशोधित कर सकती है। प्रारम्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त थी, किन्तु संसदीय अधिनियम पास होने के बाद अब इस संबंध में अन्तिम शक्ति लोकसदन को प्राप्त है। धन विधेयक पर लोकसभा का पूरा नियंत्रण है। लॉर्डसभा यदि 14 दिनों के अन्दर स्वीकृत या ~~संशोधित~~ संशोधन के साथ वापस न कर दे तो उसे उसी रूप में सम्राट की स्वीकृति लेकर पास कर दिया जाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में

प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लोकसदन द्वारा जब किसी ~~की~~ विधेयक को पारित कर लॉर्डसभा के पास भेजा जाता है, और लार्डसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो लोकसदन द्वारा विधेयक दुबारा पारित किया जा सकता है और यदि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में एक वर्ष का समय हो चुका है, तो लॉर्डसभा द्वारा पारित किये जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस तरह लॉर्डसभा धनविधेयक को एक महीना और साधारण विधेयक को एक वर्ष के लिए रोक सकती है और अन्तिम शक्ति लोक सदन के पास ही है।

② वित्तीय शक्तियाँ :- वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की शक्ति सुदृढ़ है। मैडिसन के अनुसार "जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है, उसी के पास वास्तविक शक्ति है।" वित्तविधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, लॉर्डसभा में नहीं। लोकसदन द्वारा पारित वित्त विधेयक लॉर्डसभा में विचार विमर्श के लिए एक महीना तक रोका जा सकता है। इस अवधि के बाद विधेयक दोनों सदनों से पास समझा जाता है। अतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसदन को पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त है।

③ कार्यपालिका शक्तियाँ :- कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल लोकसदन के प्रति ~~पूर्णरूपेण~~ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ~~क~~ वे उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निन्दा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को पदच्युत भी किया जा सकता है, यह अधिकार लॉर्डसभा को नहीं है।

(५) जनता की शिकायतों का निवारण:- लोकसदन के सदस्य जनता के प्रतिनिधि है। उनका कर्तव्य है, जनता की शिकायत को लोकसभा तक पहुँचाना।

~~मूल्यांकन~~

मूल्यांकन - सैद्धान्तिक दृष्टि से ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता है, किन्तु जहाँ तक व्यवहार का सम्बन्ध है. विश्व के लगभग सभी प्रजातंत्रों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही है और व्यवस्थापिका निर्बलता को प्राप्त हो रही है। ब्रिटेन में भी वास्तविक स्थिति ऐसी ही है।

आज की स्थिति में लोकसदन कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे -

(i) शासन को मर्यादित रखकर लोकतन्त्र की रक्षा करना।
(ii) जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना।
(iii) कुशल राजनीतिज्ञों का चयन करना।

निष्कर्ष - इस प्रकार लोकसदन का ब्रिटेन में बहुत अधिक महत्व है इसे समस्त शक्तियाँ प्राप्त है। भारत में जो स्थान लोकसभा का है वही स्थान ब्रिटेन में House of common का है।

—— X ——